

N7B:-

DDA2627A0006

UBN:- DDA2627SL0B00006

-जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर:-

-बिड आमंत्रण सूचना:-

क्रमांक / 2026-27 / 04

दिनांक: 01/10/26

केन्टीन संचालन आवंटन हेतु खुली दर निविदा / सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अजमेर न्यायक्षेत्र के निम्न लिखित न्यायालय परिसर में बिल्डिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित स्थल पर दो वर्ष तक की अवधि के लिए कैन्टीन संचालन हेतु सीलबन्द लिफाफों में बिड आमंत्रित की जाती है-

क्र. सं.	केन्टीन संचालन हेतु न्यायालय परिसर का नाम	अनुमानित न्यूनतम किराया प्रतिमाह	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	अवधि	कार्य का विवरण
01	जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर	95000/- (नियमानुसार जीएसटी अतिरिक्त)	56500/-	500/-	कार्यदेश की दिनांक से 2 वर्ष तक	कैन्टीन संचालन

इच्छुक बिडर दिनांक 01.10.2026 से दिनांक 16.10.2026 को 03:00 पी.एम. तक निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। समस्त प्राप्त बिड्स उसी दिनांक को 04:30 पी.एम. पर नियमानुसार यथा उपस्थित बिडर्स के समक्ष खोली जायेगी। बिड की शर्तें एवं विवरण राजस्थान सरकार के उपापन पोर्टल <https://sppp.rajasthan.gov.in> तथा <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर व इस कार्यालय के विभागीय पोर्टल <https://ajmer.dcourts.gov.in> पर एवं कार्यालय में संपर्क करके भी देखी जा सकती हैं।

अध्यक्ष निविदा समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
अजमेर

क्रमांक / लेखा / 2026-27 / 32033-32045

दिनांक: 01/10/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर
2. प्रभारी अधिकारी (लेखा), जिला न्यायालय अजमेर ।
3. कोर्ट मैनेजर जिला न्यायालय अजमेर ।
4. प्रोग्रामर जिला न्यायालय, अजमेर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को राजस्थान सरकार के उपापन पोर्टल <https://sppp.rajasthan.gov.in> तथा <https://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
5. सीनियर सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय, अजमेर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को जिला न्यायालय की वेबसाइट <https://ajmer.dcourts.gov.in> पर यू.बी.एन. सहित अपलोड करावें।
6. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर / न्यायालय परिसर समस्त तालुका अजमेर न्यायक्षेत्र।

अध्यक्ष निविदा समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
अजमेर

—::जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर::—

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर अजमेर में स्थापित कैंटिन संचालन हेतु
निविदा आवेदन-प्रपत्र

निविदा दाता
का
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

1. निविदा आवेदन प्रपत्र का शुल्क : 500/-रु0 मात्र
2. निविदा क्रमांक/2026-27/.....04..... दिनांक 01/10/2026
3. आवेदन प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 16.10.2026 दोपहर 03.00 बजे तक
4. निविदा खोले जाने की दिनांक/प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन 16.10.2026 को सांय 04.30 बजे
5. धरोहर राशि :- 56,500/-रु0 रहेगी तथा राजस्थान सरकार के E-PROC पोर्टल पर RISL की प्रोसेसिंग फीस 500/-
6. निविदा प्रपत्र शुल्क 500/- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के नाम (बजट मद 0075-00-800-52-01- निविदा शुल्क की प्राप्तियाँ) तथा E-PROC पोर्टल प्रोसेसिंग फीस 500/- MD RISL JAIPUR के नाम बजट मद (8658-00-102-16-01) एवं धरोहर राशि 56,500/- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के नाम (बजट मद 8443-00-103-00-00-प्रतिभूति राशि) में नियमानुसार जरिये एकल ई-चालान जमा करवाकर जमाशुदा चालान की प्रति निविदा में संलग्न प्रस्तुत करनी होगी। जिसके अभाव में प्रस्तुत निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।

आवेदन हेतु निम्नलिखित पूर्तियाँ संलग्न करना आवश्यक है :-

1. निविदा प्रपत्र शुल्क, पोर्टल प्रोसेसिंग शुल्क तथा निर्धारित अमानत राशि के जमाशुदा एकल चालान की प्रति।
2. पैन कार्ड की फोटो प्रति।
3. आधार कार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड की फोटो प्रति।
4. पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अथवा नवीन आवेदन (छः माह से अधिक पुराना ना हो) की प्रति।
5. बैंक खाता विवरण मय बैंक स्टेटमेंट प्रति।
6. समकक्ष कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो) अनुभव होने पर वरीयता दी जा सकती है।
7. जी.एस.टी. नं. की कॉपी/कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
8. खाद्य लाइसेन्स की कॉपी।
9. दुकान/फर्म/व्यवसाय के पंजिकरण की प्रति।
10. ब्लेक लिस्ट नहीं होने एवं किसी प्रकार के कर आदि राशि के बकाया नहीं होने संबंधी स्व-प्रमाणित पत्र।

आवेदक के हस्ताक्षर
मयसील


अध्यक्ष निविदा समिति
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर

—::जिला एवं सेशन न्यायालय,अजमेर::—

कैंटिन आवेदक विवरण (मय संलग्न स्व-प्रमाणित दस्तावेज)

1. आवेदक का नाम (मय आधार कार्ड प्रति)

2. स्थायी पता

3. (अ) टेलीफोन नं. —

(ब) मोबाईल न. —

(स) फैक्स नं. —

4. जी.एस.टी नम्बर,

5. पैन नम्बर,

6. (अ) वर्तमान व्यवसाय का विवरण

(ब) शॉप लाइसेन्स नम्बर

(स) खाद्य लाइसेन्स नम्बर

7. बैंकर का नाम

8. अन्य विवरण —

(अ) अनुभव

(ब) वितरण कर्मियों की संख्या

(स) कोल्ड चैन की सुविधा का विवरण

(द) वित्तीय क्षमता

9. सहयोगी फर्म(यदि कोई हो तो)

(पूर्ण विवरण दें)

10. जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पता

(मय आधार कार्ड प्रति)

(जो कि दिन प्रति दिन के कार्य को देखेगा)

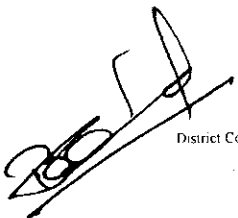
**आवेदक के हस्ताक्षर
मयसील**

—::जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर::—

कैंटिन संचालन हेतु आवश्यक शर्तें

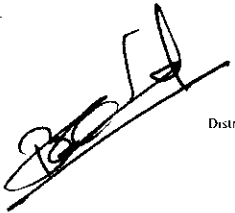
1. कैंटिन संचालन (निर्धारित स्थान पर ही) का अनुबंध दो वर्ष का होगा जो आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी। अगर दोनों पक्षों (जिला एवं सेशन न्यायालय व कैंटिन संचालक) में से कोई भी अनुबंध अवधि से पूर्व समाप्त करना चाहता है तो वह दूसरे पक्ष को एक माह दिवस पूर्व नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है।
2. कैंटिन का न्यूनतम किराया रु. 95,000/- प्रतिमाह (नियमानुसार वर्तमान 18 प्रतिशत जी.एस.टी. अतिरिक्त) होगा, किराया प्रतिमाह 7 तारीख तक एवं अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस पर जिला एवं सेशन न्यायालय में आवश्यक रूप से निर्देशानुसार जरिये चालान जमा करवाना होगा। नियत दिनांक तक किराया न देने पर रु. 100/- प्रति दिवस शास्ति आरोपित की जायेगी। नियमानुसार अधिकतम बोलीदाता (H1) को सफल बोलीदाता घोषित करते हुए कैंटिन संचालन आवंटित किया जाएगा। प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मासिक किराये में बढ़ोतरी होगी।
3. कार्यादेश जारी किये जाने के 15 दिवस में कैंटिन संचालन प्रारंभ करना होगा नहीं करने पर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. कैंटिन के सुगम संचालन हेतु पार्टी द्वारा कम से कम एक डीप फ्रिज 400 ली. एक चैस्ट कूलर, 400 ली. एक विजी कूलर, आवश्यक रूप से एवं आवश्यक फर्नीचर संचालक को स्वयं के खर्च से लगाने होंगे।
5. कैंटिन संचालक के पास स्वयं (कैंटिन संचालक) के नाम से शॉप व खाद्य लाइसेंस आवश्यक है, जो कि नगर निगम/स्थानीय निकाय से जारी होना अनिवार्य है। सफल निविदाकर्ता जिसके पास उक्त लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस के लिए एप्लाय की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने पश्चात् कार्यादेश दिया जायेगा।
6. कैंटिन में शत प्रतिशत शुद्ध शाहकारी खाद्य सामग्री की ही बिक्री की जायेगी। समस्त सरस उत्पाद कैंटिन में रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अन्य खाद्य पदार्थ जैसे फ्रुट शैंक, आईस्क्रीम, चाकलेट, बेकरी आइटम, फास्टफुड, चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक आदि भी कैंटिन में रखना अनिवार्य होगा। कैंटिन पर उचित साफ-सफाई व हाइजेनिक कंडीशन बनाये रखना होगा, जिसके लिए डस्टबीन रखने होंगे कैंटिन का जिसका समय-समय पर जिला एवं सेशन न्यायालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
7. कैंटिन में बैठने एवं खाने-पीने हेतु पर्याप्त मात्रा में टेबल कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त हवा हेतु पर्याप्त मात्रा में पंखे-कूलर इत्यादी की व्यवस्था करनी होगी। कैंटिन में सुविधा वातावरण आधुनिक केफे पार्लर समकक्ष होनी चाहिए।
8. कैंटिन में बनने वाली खाद्य सामग्री स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में तैयार की जानी होगी एवं इनको बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता वाली एवं खाद्य मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
9. कैंटिन में दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं जैसे नाश्ता, दोपहर का भोजन, चाय, कॉफी कोल्ड ड्रिंक आदि की आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक है खाद्य पदार्थों की खपत के लिये कोई न्यूनतम गारंटी नहीं दी जायेगी।
10. सफल निविदा दाता की निविदा/बोली धरोहर राशि रु.56,500/- को नियमानुसार 5 प्रतिशत प्रतिभुति सुरक्षा राशि में समायोजित कर दिया जावेगा एवं शेष राशि और जमा करावानी होगी। प्रतिभुति सुरक्षा राशि कैंटिन के अनुबन्धित अवधि के सफल संचालन व समाप्ति पर सम्बन्धित विभाग आदि से अनापत्ति एवं बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बिना किसी ब्याज के लौटा दी जायेगी। कैंटिन संचालन अवधि में किसी भी प्रकार की टूटफूट के लिए निविदादाता ही जिम्मेदार होगा व कैंटिन संचालक द्वारा ही रिपेयर करानी होगी।

11. सरस उत्पाद डिमान्ड अनुसार सप्लाई अजमेर सरस डेयरी से अधिकृतरूप से प्राप्त कर अधिकृत एवं अनुमोदित दरों पर विक्रय कि जायेगी जो कि अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक नहीं होगी। कैंटिन पर रेट चार्ट के द्वारा उत्पाद की दर प्रदर्शित करनी होगी।
12. मदिरा, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट व अन्य प्रतिबंधित/गैर कानूनी वस्तुएं रखना बेचना व कैंटिन परिसर में सेवन करना निषेध रहेगा।
13. कैंटिन संचालन जिला एवं सेशन न्यायालय के बिना पूर्वानुमति के अन्तरण, उप-किरायेदारी या अन्य किसी भी रूप में हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा।
14. कैंटिन का समय कार्यालय खुलने से 1 घण्टे पूर्व व कार्यालय बंद होने के 1 घण्टे पश्चात् तक खुला रह सकता है।
15. कैंटिन में कार्यरत कर्मचारी कैंटिन के अन्दर नहीं सोएंगे एवं कैंटिन में आपत्तिजनक कोई भी स्थिति/सामग्री नहीं रहेगी। ऐसा करते हुए पाये जाने पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
16. पानी व बिजली का व्यय कैंटिन संचालक द्वारा वहन किया जायेगा व बिजली पानी आदि कनेक्शन स्थापन एवं उनके बिलों का भुगतान जमा कार्य भी संचालक द्वारा ही करवाया जावेगा। समय-समय पर त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/उसी जमा राशि की प्रति जिला एवं सेशन न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी।
17. कैंटिन की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी कैंटिन संचालक की होगी।
18. सफल आवेदक द्वारा अपने खर्च पर नॉनज्यूडिशल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा। जो कम से कम 500 रु० का होगा।
19. कैंटिन संचालक को जिला एवं सेशन न्यायालय को पूर्ण सहयोग करना होगा, जिला एवं सेशन न्यायालय में कैंटिन संचालक के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा। जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा आरोपित शास्ती के लिए कैंटिन संचालक उत्तरदायी होगा।
20. उपरोक्त किसी भी शर्त की पालना न करने पर या अन्य किसी प्रकार की असामाजिक/गैरकानूनी गतिविधि में कैंटिन संचालक/कर्मचारी लिप्त पाये जाने पर या ऐसी किसी गतिविधि में कैंटिन परिसर का उपयोग किये जाने पर सुरक्षा राशि जब्त करते हुये अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार जिला एवं सेशन न्यायालय के पास सुरक्षित रहेगा।
21. कैंटिन संचालन समाप्ति पर कैंटिन को उसी स्थिति में जिला एवं सेशन न्यायालय को हस्तान्तरित करना होगा, जिस स्थिति में कैंटिन का चार्ज प्राप्त किया। किसी टूटफूट की स्थिति में सुधार पर लगने वाला खर्च जमा राशि में काट लिया जावेगा।
22. कैंटिन संचालक द्वारा लगाये गये वेतन भोगी कर्मचारीयो से सम्बन्धित पी.एफ. ई.एस.आई. व अन्य राज्यकीय कर का लेखा जोखा संचालक को ही जमा व तैयार करना है पूर्ण रूप से वह उत्तरदायी होगा व उपरोक्त दस्तावेजों की फोटो प्रति जिला एवं सेशन न्यायालय में जमा करानी होगी।
23. न्यूनतम दैनिक मजदूरी ठेकेदार/बोलीदाता द्वारा अपने कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी दिये जाने की अण्डरटेकिंग देनी होगी। इस संबंध में समय-समय पर जारी सभी राजकीय अनुदेशों की पालना की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.2 (1) वित्त/एसपीफसी/2017 संख्या 1/2018 दिनांक 30-04-2018 की पालना करना जरूरी होगा। बाल श्रमिकों को संविदा कार्यों में नहीं लगाया जायेगा।
24. टेण्डर अवधि में कैंटिन को बंद रखने या अवधि में मध्य ही टेण्डर को छोड़ने अथवा अन्य किसी कारण से कार्य स्थगित होने पर जिला एवं सेशन न्यायालय में समस्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी एवं कैंटिन संचालन का कार्य अगली उच्च बोली लगाने वाले या अन्य किसी बाहरी व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा अन्तर राशि सफल बोलीदाता कि जमा राशि से वसूल कि जा सकेगी।



District Court Ajmer Canteen Tender

25. जिला एवं सेशन न्यायालय के द्वारा तबदील शर्तों को समय समय पर भी लागू किया जा सकेगा।
26. सफल कैंटिन संचालक को चरित्र प्रमाण सम्बन्धित थाने की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अथवा नवीन आवेदन कि प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
27. जिला एवं सेशन न्यायालय को प्राप्त निविदा आवेदनों को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। न्यायिक कार्य समय कि बचत, कार्य कि अधिक आवश्यकता आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखकर नियमानुसार एकल प्राप्त निविदा को भी स्वीकार किया जा सकता है। बिडर बोलीदाता का यह स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व कैंटिन हेतु निर्धारित स्थान का पूर्ण निरीक्षण कर लेवें।
28. जिला एवं सेशन न्यायालय के आदेशों की अवेहलना करने पर प्रतिदिन राशि 500/-रु० की शास्ती आरोपित की जायेगी।
29. विवाद होने की स्थिति मे किसी भी विवाद का न्यायक्षेत्र अजमेर शहर होगा।
30. कैंटिन परिसर में कैंटिन से सम्बन्धित कार्य के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जायेगा।
31. जिला एवं सेशन न्यायालय के किसी स्टाफ या ठेका श्रमिक या ग्राहक के साथ कैंटिन संचालन या इसके स्टाफ द्वारा दुर्व्यहार करना/मारपीट करना निविदा शर्तों का उल्लंघन होगा।
32. निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें अनुबंध का हिस्सा होगी।
33. उपरोक्त नीलामी की शर्तों के विषय में दोनों पक्षों में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 अनुसार विवाद का निस्तारण किया जायेगा। उक्त निविदा हेतु प्रथम अपील अधिकारी अध्यक्ष कय समिति तथा द्वितीय अपील अधिकारी श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर होंगें।
34. अन्य शर्तें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जरिये आदेश क्रमांक 14/एस.ओ./2021 दिनांक 21.12.2021 (वेबसाइट पोर्टल पर भी उपलब्ध) जारी "GUIDELINES FOR ALLOTMENT AND USE OF BUILDING/SPACE IN COURT PREMISES FOR PUBLIC UTILITY SERVICE-2021" के उपबन्ध व संलग्न परिशिष्टों में वर्णित विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तें लागू होगी एवं अनुज्ञप्ति उक्त उपबंध व शर्तों एवं इस निविदा/नीलामी के साथ लगे अनुगलंक -2 के शर्तों अनुसार होगी।
35. प्रतिवर्ष वार्षिक कुल किराया राशि का 25 प्रतिशत (चौथाई भाग) अग्रिम तथा शेष 75 प्रतिशत किराया प्रतिमाह अग्रिम चुकाना होगा।
36. निविदा दाता द्वारा बेचे जाने वाले सामग्री/सामानों का विवरण मय शुल्क कि सूची (पेक्ड सामग्री के अतिरिक्त) निविदा में संलग्न करनी होगी तथा पेक्ड सामग्री MRP से अधिक दर पर नहीं बेची जाएगी तथा सफल बोली दाता को बिलडिंग समिति से सामग्री कि दरों का अनुमोदन करवाना होगा तथा निविदा कार्य के संबंध में जिला न्यायालय अजमेर का निर्णय अंतिम मान्य होगा।
37. निविदा प्रपत्र शुल्क 500/- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के नाम (बजट मद 0075-00-800-52-01- निविदा शुल्क की प्राप्ति) तथा E-PROC पोर्टल प्रोसेसिंग फीस 500/- MD RISL JAIPUR के नाम बजट मद (8658-00-102-16-01) एवं धरोहर राशि 56,500/- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर के नाम (बजट मद 8443-00-103-00-00-प्रतिभूति राशि) में नियमानुसार जरिये एकल ई-चालान जमा करवाकर जमाशुदा चालान की प्रति निविदा में संलग्न प्रस्तुत करनी होगी। जिसके अभाव में प्रस्तुत निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
38. निविदा में वित्तीय बोली E-PROC पोर्टल के माध्यम से BOQ File Format में प्रतिमाह अधिकतम किराया दर हेतु (नियमानुसार जी.एस.टी को सम्मिलित नहीं करते हुए) ऑनलाईन ही भरी जानी है। ऑनलाईन प्रस्तुत वित्तीय बोली (प्रतिमाह किराया दरों) को ही स्वीकार किया जाएगा।



District Court Ajmer Canteen Tender

39. प्रस्तुत मासिक किराया दर को जी.एस.टी. के अतिरिक्त समझा जाएगा। वर्तमान जी.एस.टी. दर 18 प्रतिशत के अनुसार प्रस्तुत मासिक किराये के सहित जी.एस.टी राशि का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। जी.एस.टी. दरों में बदलाव होने पर नियमानुसार प्रभावी जी.एस.टी दरों अनुसार भुगतान किया जाना होगा।
40. नियमानुसार अधिकतम (H1) प्रतिमाह किराया दरदाता को सफलतम बोलीदाता घोषित करते हुए केन्टीन आवंटन किया जाएगा। एक से अधिक समान अधिकतम किराया दरे प्राप्त होने पर समिति द्वारा लॉटरी अथवा अन्य उचित आधार पर सफलतम निविदा दरदाता का चयन किया जा सकता है जिसके संबंध में अध्यक्ष निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा।
41. सफलतम निविदादाता को निविदाशर्तों के अनुसार मासिक अग्रिम किराया जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा निर्देशित बजट मद में जरिये चालान ऑनलाईन जमा करवाकर जमाशुदा चालान प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

मैंने/हमने इस संपूर्ण निविदा सूचना व कार्य हेतु दी गई सभी शर्तें पढ़ ली हैं, समझ ली हैं जो मुझे/हमें स्वीकार हैं। जिसके प्रमाण हेतु मैंने/हमने इस निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर
मयसील


अध्यक्ष निविदा समिति
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अजमेर।

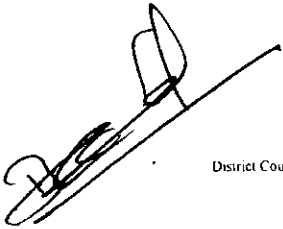
कार्यालय :- जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर

केन्टीन आवंटन हेतु निविदा

वित्तीय बोली हेतु आवश्यक निर्देश

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किराया दर प्रतिमाह (नियमानुसार जी.एस.टी. के अतिरिक्त)
1	केन्टीन संचालन	E-Proc पोर्टल के माध्यम से BOQ File Format में ऑनलाईन ही भरें। नियमानुसार अधिकतम बोलीदाता (H1) का चयन सफलतम बोलीदाता के रूप में किया जाएगा।

(नोट :- नियमानुसार अधिकतम बोलीदाता (H1) का चयन सफलतम बोलीदाता के रूप में किया जाएगा। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किराया दर में जी.एस.टी. राशि सम्मिलित नहीं समझी जाएगी। नियमानुसार जी.एस.टी. राशि का भुगतान प्रस्तुत प्रतिमाह किराया दर के अतिरिक्त किया जाना होगा। उक्त प्रपत्र के अतिरिक्त वित्तीय बोली E-Proc पोर्टल के माध्यम से BOQ File Format में ऑनलाईन ही भरी जानी होगी। निविदा के संबंध में समिति अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।)



District Court Ajmer Canteen Tender

DISTRICT AND SESSIONS COURT, AJMER**घोषणा-पत्र**

(फर्म द्वारा स्वयं के लेटर हेड पर घोषणा पत्र)

मेरे/हमारे द्वारा घोषणा की जाती है कि जिला एवं सेशन न्यायालय अजमेर के बिड आमंत्रण सूचना क्रमांक दिनांक का बिड सूचना तथा इसके संलग्न समस्त प्रपत्रों, जानकारी एवं शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि निविदा सूचना के सम्बन्ध में श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर का निर्णय हमारे लिये अन्तिम एवं मान्य होगा।

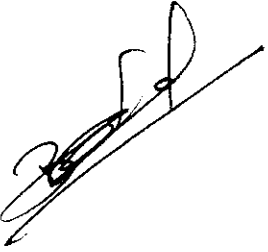
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म द्वारा बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। उक्त कार्य से सम्बन्धित हमारे यहाँ अनुभवी कर्मचारी भी उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है तथा किसी प्रकार कि कर राशि बकाया नहीं है। प्रतीक स्वरूप निविदा सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी अमानत (Earnest Money)/प्रतिभूति (Security Deposit) को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता
मय पता सील मोहर



DISTRICT AND SESSIONS COURT, AJMER

General Terms and Conditions for Canteen/Confectionary Shop

1. **Eligibility for running a canteen**
The bidder must have an experience of running Canteen in Government Departments, Courts, Government Undertakings, Schools, Hospitals or any other important place for at least a period of 3 years.
2. **Price of Food Items**
(i) Before initial setup of the Canteen, the vendor shall submit the list of food items to be sold in the canteen with their quantity and proposed price for approval of Hon'ble Building Committee.
(ii) Food items in the canteen shall not be sold for more than the maximum retail price (MRP) or the price so approved by Hon'ble Building Committee from time to time.
(iii) No item other than those approved by Hon'ble Building Committee shall be sold in the canteen.
(iv) The price of various food items could be revised only after the prior approval of Hon'ble Building Committee.
3. **Display of Price List**
The allottee shall display the price list of all the food items at a conspicuous place in the canteen.
4. **Quality of Food items in canteen**
(i) The allottee shall maintain all hygiene, cleanliness and quality of food stuff.
(ii) The beverages and food-stuffs may be checked from time to time by Hon'ble Building Committee or with the help of Food Inspector of the area.
(iii) All food safety standards under prevalent Laws, Circulars and Directions shall be followed by the allottee.
5. **Service Conditions of Workmen**
(i) The service conditions safety insurance etc, of the workmen employed in the Canteen shall be governed by the law for the time being in force governing such workmen hiring which appropriate steps may be taken against him including termination of the agreement.
(ii) The employees, working in the canteen shall wear uniform prescribed by respective Building Committee.
6. **Furniture and other required infrastructure**
Furniture and other infrastructure required for setting up and running the canteen will be arranged by the allottee.
7. Agreement would be liable to be cancelled or terminated by the High Court without assigning any reasons.
8. Other relevant conditions may be incorporated as per local requirements.



District Court Ajmer Canteen Tender

DISTRICT AND SESSIONS COURT, AJMER

Form of Agreement
(on Rs. 500/-non-judicial stamp)

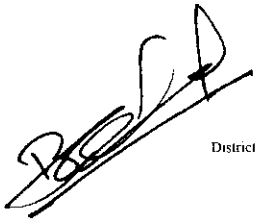
I Son/Daughter/Wife of.....aged years, Resident of.....Tehsil..... District hereby execute this deed of agreement in favour of the Registrar (Administration), RHC, Jodhpur/Jaipur/District Judge....., in respect of leasing of In the Premises of Rajasthan High Court, Jodhpur/Jaipur/Judicial Courts Premises.....subject to the following terms and conditions, which shall be binding upon me:-

- (1.) That I shall be the licensee of the above building/space for a period of commencing from to
- (2.) That I have deposited 1/4th of the License Fee on and the balance has been paid by me on.....
- (3.) That I shall keep no livestock in the Court Premises.
- (4.) That I shall make no permanent addition or alteration of any sort to the building space allotted to me. The temporary structures over the allotted space will be raised by me after approval of Hon'ble Building Committee and after efflux of the licence, I shall remove the same within seven days positively.
- (5.) That I shall afford ample protection for the approved foodstuff and other eatables.
- (6.) That in case of a breach of any of the terms and conditions of the guidelines as well as the above cited conditions on my part, the High Court Administration/District judge may cancel the license without any further notice and that I shall not be entitled to claim a refund from the money deposited and that I shall compensate the High Court Administration/District judge for the loss suffered on account of releasing of the building/ space.
- (7.) That on the termination of agreement by efflux of time or otherwise, I shall vacate the space forthwith and not later than 7 days failing which the possession will be taken by Hon'ble Building Committee. No further notice of ejectment will be necessary.
- (8.) All the terms and conditions appended with NIT will be part and parcel of the agreement
- (9.) That it will be binding upon me to follow the rules and guidelines made for this purpose.

In witness whereof, I subscribe my name at
.....this day of.....

Witnesses:-

1.
2.



District Court Ajmer Canteen Tender

Signature of licensee

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE (To be filled by the Bidder)

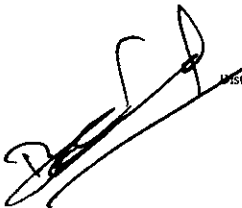
To,
The Chairman,
Tender Committee,
District & Sessions Court, Ajmer
Sir,

In response to the Ref. NIB No. Date:.....
Dated Tender for Canteen, as an Owner/Partner/Director/Auth. Sign of
..... I we hereby declare that presently our Company/Firm
..... at the time of bidding:-

- 1) Possesses the necessary professional, technical, financial and managerial resources and commence required by the bidding document issued by the procuring Entity;
- 2) Having fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified into him Bidding Document.
- 3) Is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/Central Government/PSU/UI;
- 4) Does not have any previous transgressions with any entity in India or any other country during last three years;
- 5) Does not have any debarment by any other procuring entity;
- 6) Is not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
- 7) Does not have, and our directors and officers not have convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to the qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to department proceeding;
- 8) Does not have a conflict of interest as mentioned in the bidding document which materially affects the fair competition;
- 9) Will comply with the code of integrity and norms as specified in the bidding document.

If this declaration if found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules there to prescribed, my/our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Name of the Bidder: Authorized Signatory:
Seal of the Organization
Date:
Place:


District Court Ajmer Canteen Tender

